जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 20.08.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा करंट लगने से घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत काटगंगा से कालर द्वारा अज्ञात वाहन द्वारा स्कूटी मे ठोकर लग जाने के कारण घायल 01 व्यक्ति नाम,पता सतेन्द्र पुत्र अशोक चौहान निवासी बड़ेवन थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु घरवालों के साथ प्राईवेट वाहन से अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गौतम कुमार, आ0 बबलू कुमार यादव, मु0आ0चा0 राजनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 455 वाहनों से 539,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 455 वाहनों से 539,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व 200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 20.08.2025 को *सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर* के द्वारा अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व 200 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 120/2006 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विन्द कुमार जैसवाल पुत्र कल्पनाथ जैसवाल निवासी माटी टोला,भेली मण्डी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त विन्द कुमार जैसवाल को धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा व 200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का कारावास भुगतना होगा।